मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 03-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23 / 12 / 2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त संयुक्त / उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.

विषय– **"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"** व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य– तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन स्वीकृत करने के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा –

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड –

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
2. अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों ने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।
3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हुये, अस्थिबाधित जो दोनों पैरा से चलने में असमर्थ, दृष्टिबाधित 40 प्रतिशत से अधिक, श्रवण बाधित 40 प्रतिशत से अधिक, मंदबुद्धि जिनको चिकित्सकों द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।
4. निःशक्त विद्यार्थी का नाम समग्र स्पर्श पोर्टल में अंकित होना चाहिये।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया–

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1	विगत वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा की अंक–सूची।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
2	चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अथवा स्पर्श पोर्टल **(sparsh.samagra.gov.in)** से
3	शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल,	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार